22.12.17

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सिंगडोला बडा में आराजी ख0नं0 92 रकबा 2.88 हैक्टर बाबत अदालत मातहत में अपीलान्ट ने दावा पेश किया । जिसे बाद सुनवाई डिक्री किया गया। जिसके अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हो गया । अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री दि0 23-7-2002 के विरूद्ध अदालत हाजा में त्रिलोकचन्द बनाम घासीराम आदि मु0सं0 120/2014 पेश की जिसको दिनांक 21-7-2016 को स्वीकार कर अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त कर प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ

प्रखण्ड अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक	आज्ञा पत्र	
22-12-17	भी नहीं देखा गया कि तथाकथित पूर्व खातेदारान का देहान्त हो चुका है तथा उनके वारिसान वाद में मौजूद होते हुये भी उन्हे साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर न देकर आदेश पारित किया है । रेस्पोडेन्ट संख्या-1 अदालत मातहत में पक्षकार भी नहीं था वह दावे में बिना पक्षकार बने ही धारा-144 का प्रार्थना पत्र पेश किया है जबकि कानूनन उसे पहले दावे में पक्षकार बनकर ही कार्यवाही करनी चाहिये थी । जबकि धारा-144 सीपीसी का प्रार्थना पत्र भी आर आर टी 2015(1) पेज-29 में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रार्थना पत्र डिक्री की तरह ही अलग से दर्ज होकर डिक्री तरह ही हि सम्पादित किया जावेगा किन्तु अदालत मातहत ने नियत पेशी जो माननीय न्यायालय ने निश्चित की थी उसका इन्तजार किये बिना अपीलान्ट को बिना सुने ही इस प्रार्थना पत्र का निर्णय कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त किया जावे ।	

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया कि अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है ।माननीय न्यायालय द्वारा अदालत मातहत के निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया गया। अर्थात जिस डिक्री से राजस्व रेकार्ड तैयार हुआ वह डिक्री निरस्त हो गई तो न्यायालय को यह इन्द्राज तो अपने आप ही दुरूस्त कर देना चाहिये जैसा आर आरडी 1991 पेज 18 में स्पष्ट किया गया है । इसमें अपीलान्ट को सुनने का कोई औचित्य नहीं बताया है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय सही पारित किया है । अपीलान्ट की अपील को खारिज किया जावे ।

बहस बगौर समाहत की गई ।पत्रावली का अवलोकन किया गया । अदालत मातहत ने दिनांक 23-7-2002 को दावा डिक्री किया जिसमें ख0नं0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सांभर

जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या-1 त्रिलोकचन्द पक्षकार नहीं था । त्रिलोकचन्द ने दिनांक 23-7-2002 के आदेश के विरूद्ध अपील पेश की जिसे न्यायालय द्वारा दि0 21-7-2016 को अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23-7-2002 को खारिज करते हुये प्रकरण अदालत मातहत को प्रतिप्रेषित किया गया कि अपीलान्ट त्रिलोकचन्द को पक्षकार बनाया जाकर उसे सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें तथा पक्षकारों को अदालत मातहत मातहत में दिनांक 19-8-2016 को उपस्थित होने के निर्देश दिये गये । किन्तु अदालत मातहत ने नियत तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 9-8-16 को बिना अपीलान्ट को नोटिस दिये बिना सूचना दिये आदेश पारित किया है । जबकि प्रस्तुत नजीर आर आरटी 2015(1) पेज-29 में स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थना पत्र धारा-144 सीपीसी डिक्री की तरह ही निस्तारित किया जावेगा । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत नजीर के तथ्य भिन्न है । इस कारण हम न्यायहित में प्रकरण को अदालत मातहत को प्रति प्रेषित किया जाना उचित मानते हैं कि वह प्रकरण में उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 22.12.2017 को सुनाया गया ।

22/12/17

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर